

## फार्म 1

भारत में टीवी चैनलों को डाऊनलिक करने (समाचार तथा वर्तमान घटनाक्रम एवं गैर-समाचार एवं वर्तमान घटनाक्रम दोनों) हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन फार्म  
(तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

सचिव,  
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,  
शास्त्री भवन, 'ए' विंग,  
नई दिल्ली-110001.

**विषय :** ..... की अनुमति हेतु आवेदन  
(कृपया आवेदन करने का उद्देश्य लिखें)

महोदय,

मैं एतद्द्वारा अन्य विवरणों के अतिरिक्त, डाऊनलिकिंग हेतु दिशानिर्देशों में निर्धारित की गई पात्रता के समर्थन में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करता हूँ :

**भाग-क :** टीवी चैनलों को डाऊनलिक करने की अनुमति के लिये अनुरोध  
(आवेदक कम्पनी का ब्यौरा)

1.	आवेदक कम्पनी का नाम और स्थिति : (प्रा०लि०/सार्वजनिक लि०)	:	
2.	टेलीफोन/फैक्स नं., ई-मेल आईडी सहित डाक का पूरा पता	:	
	(i) कारपोरेट कार्यालय/मुख्य कार्यालय	:	
	ii) पंजीकृत कार्यालय	:	
	iii) क्षेत्रीय कार्यालय/देश/कार्यकलाप का स्वरूप	:	

3.	टेलीफोन/फैक्स/ई-मेल सहित पत्राचार का पता	:	
----	--	---	--

4.	प्राधिकृत व्यक्ति जिससे सम्पर्क किया जा सके, उसका पदनाम और टेलीफोन/फैक्स नं./ई-मेल आईडी	:	
----	---	---	--

5.	अदा किया गया प्रक्रिया शुल्क और भुगतान का ब्यौरा	:	
----	--	---	--

6.	कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकरण का ब्यौरा : शामिल किये जाने की संख्या और दिनांक (शामिल किये जाने के प्रमाण-पत्र और संघ के ज्ञापन तथा अंतर-नियमों की प्रति संलग्न करें)	:	
----	---	---	--

7. प्रवर्तकों और अधिकांश शेयरधारकों का ब्यौरा (राशि और चुकता इक्विटी की प्रतिशतता के अनुसार धारण की गई इक्विटी तथा नाम, पता, सम्पर्क करने के लिये टेलीफोन के संबंध में उल्लेख करते हुए अलग से शीट संलग्न करें)

8.	कम्पनी का ब्यौरा	:	
----	------------------	---	--

8.1	निदेशक मंडल (प्रत्येक निदेशक की जन्मतिथि, जन्म स्थान, अभिभावकों की स्थिति, राष्ट्रीयता, स्थाई पते, आवासीय पते, कार्यालयी पते, पासपोर्ट संख्या (यदि कोई हो), योग्यता, अनुभव, प्रतिशतता इत्यादि का उल्लेख करते हुए उनके जीवनवृत्त के साथ निदेशकों की सूची संलग्न करें)	:	
-----	--	---	--

8.2	मुख्य कार्यकारी : सीईओ/एमडी, विपणन अध्यक्ष, कार्यक्रम अध्यक्ष इत्यादि से शुरू करते हुए। (प्रत्येक कार्यकारी की जन्मतिथि, जन्म स्थान, अभिभावकों की स्थिति, राष्ट्रीयता, स्थाई पते, आवासीय पते, कार्यालयी पते, पासपोर्ट संख्या (यदि कोई हो), योग्यता, अनुभव, प्रतिशतता इत्यादि का उल्लेख करते हुए उनके जीवनवृत्त के साथ निदेशकों की सूची संलग्न करें)	:	
-----	---	---	--

(इस अनुमति को जारी करने से पहले निदेशक मंडल में किये गये किसी परिवर्तन के संबंध में मंत्रालय को तत्काल सूचित किया जाए। इस अनुमति को जारी किये जाने के बाद निदेशकों के संबंध में किसी परिवर्तन के मामले में कम्पनी मंत्रालय को सूचित करेगी ताकि उनके संबंध में सुरक्षा अनुमोदन प्राप्त किया जा सके)। (दिशानिर्देशों का खण्ड 5.11)।

8.3	इक्विटी	:	
-----	---------	---	--

राशि (रु. लाख में)

(क)	प्राधिकृत पूंजी :	:	
		:	

(ख)	जारी की गई चुकता पूंजी	:	राशि (रु.लाख में)	प्राधिकृत पूंजी की प्रतिशतता के रूप में

(ग)	धारित इक्विटी का वर्गीकरण	:	राशि (रु.लाख में)	चुकता पूंजी (ख) की प्रतिशतता के रूप में

(i)	भारतीय प्रवर्तकों/अधिकांश शेयरधारियों द्वारा धारित कुल इक्विटी	:	
(ii)	प्रवर्तकों/अधिकांश शेयरधारियों के संबंध में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की समानुपाती हिस्सेदारी	:	
(iii)	भारतीय वित्तीय संस्थाएं और बैंक	:	
(iv)	अन्य भारतीय शेयरधारी	:	
(v)	बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी की कुल निवल चुकता इक्विटी के संबंध में अधिकांश शेयरधारियों की इक्विटी की प्रतिशतता	:	
(vi)	सीधे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश धारिता (एफआईआई, पीआईओ, एनआरआई इत्यादि सहित- इसका ब्यौरा दिया जाए)	:	
(vii)	अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश/एफआईआई (भारतीय प्रवर्तकों और अधिकांश शेयरधारियों की तुलना में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की समानुपाती हिस्सेदारी)	:	
(viii)	विदेशी संस्थागत निवेशक/पोर्टफोलियो निवेश	:	
(ix)	कुल विदेशी इक्विटी धारिता [(vi)+(vii)+(viii)]	:	

9.	<p>दिनांक 30.10.2005 की स्थिति के अनुसार आवेदक कम्पनी का निवल मूल्य।</p> <p>इस निवल मूल्य की गणना डाऊनलिक किये जा रहे चैनलों की संख्या के अनुसार की जाए।</p> <p>(कृपया तत्काल पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और लाभ तथा हानि लेखे तथा इन दस्तावेजों के आधार पर सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित किये गये निवल मूल्य के प्रमाण-पत्र अथवा नई शामिल की गई कम्पनी के संबंध में किसी सनदी लेखाकार द्वारा समाप्त होने वाली अद्यतन तिमाही के बारे में निर्धारित प्रोफार्मा में इन दस्तावेजों की प्रति अनुलग्नक में दिये गये आवेदन को प्रस्तुत करने से पहले संलग्न की जाए)</p>	:	
----	---	---	--

10.	<p>वित्तीय पात्रता के संबंध में इसके दावे का समर्थन करने के लिये पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्टें तथा लेखा परीक्षित लेखाओं अथवा नई शामिल की गई कम्पनी के मामले में इसे शामिल किये जाने की तारीख से 31 मार्च, 2006 तक के तुलन-पत्र जो सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किये गये हों।</p>	:	
-----	---	---	--

11.	कार्यकलाप/बिजनेस का मुख्य क्षेत्र	:	
-----	-----------------------------------	---	--

12. डाऊनलिक किये जा रहे अथवा डाऊनलिक करने के लिये प्रस्तावित चैनलों की संख्या और नाम। (प्रत्येक चैनल का ब्यौरा भाग-ख और ग में अलग-अलग प्रदान किया जाए) :

13.	क्या आवेदक कम्पनी के पास दूरसंचार विभाग(डीओटी) /सूचना प्रौद्योगिकी विभाग(डीओआईटी) /बेतार आयोजना एवं समेकन(डब्ल्यूपीसी) अथवा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) से प्राप्त किया गया कोई अन्य लाइसेंस है? यदि हां, तो इसका ब्यौरा दिया जाए।	:	
14.	क्या आवेदक कम्पनी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) को कोई अन्य आवेदन किया है? यदि हां, तो इसका ब्यौरा दिया जाए।	:	
15.	क्या किसी समय आवेदक कम्पनी को कोई टीवी चैनल अपलिक अथवा डाऊनलिक करने की अनुमति प्रदान करने से मना किया गया है? यदि हां, तो इसका ब्यौरा दिया जाए।	:	
16.	क्या आवेदक कम्पनी को किसी समय किसी टीवी चैनल को अपलिक अथवा डाऊनलिक करने की अनुमति के लिये अयोग्य ठहराया गया है? यदि हां, तो इसका ब्यौरा दिया जाए।	:	

स्थान :

(आवेदक के हस्ताक्षर)

[कम्पनी का प्राधिकृत हस्ताक्षरी]

दिनांक :

नाम :

कार्यालय का पता :

टेलीफोन/फैक्स नं. और ई-मेल आईडी :

कम्पनी की मोहर

**भाग-ख : किसी टीवी चैनल को डाऊनलिक करने के लिये व्यावसायिक तथा तकनीकी ब्यौरा**

(1)	डाऊनलिक किये जा रहे/डाऊनलिक के लिये प्रस्तावित चैनल का नाम	:	
2.(i)	क्या डाऊनलिक किये जा रहे अथवा डाऊनलिक के लिये प्रस्तावित चैनल आवेदक कम्पनी कर है अथवा उसके पास भारत के क्षेत्र में इसके विपणन और/अथवा वितरण अधिकार हैं? (कृपया इसके समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करें) : कृपया यथा-लागू संघ के ज्ञापन/अंतर-नियमों, विपणन/वितरण करार की प्रति संलग्न करें।	:	
(ii)	यदि आवेदक कम्पनी के पास विपणन और/अथवा वितरण अधिकार हैं तो क्या उसे संबंधित चैनल की ओर से विज्ञापन, अंशदान और कार्यक्रम विषय-वस्तु के संबंध में संविदा करने का प्राधिकार प्राप्त है? यदि हां, तो इन करारों की प्रति संलग्न करें।	:	
(iii)	क्या इस चैनल के संबंध में पूरे भारत अथवा भारत में किसी स्थान से भिन्न किसी विशेष क्षेत्र अथवा स्थान पर विपणन किया जाएगा? कृपया इसका ब्यौरा दें।	:	
3. (i)	चैनल के प्रसारण का ब्यौरा : टीवी चैनल को अपलिक और डाऊनलिक करने के लिये किराये पर लिये गये/किराये पर लिये जाने वाले प्रस्तावित सैटेलाइट का नाम	:	

(ii)	इसकी परिधि की स्थिति	:	
(iii)	बैण्डविथ सहित ट्रांसपॉंडर (ट्रांसपॉंडरों) का प्रकार और संख्या	:	
(iv)	भारत के ऊपर प्राथमिक क्षेत्र में सिग्नल क्षमता	:	
(v)	उस कम्पनी का नाम जिससे सैटेलाइट/ट्रांसपॉंडर पट्टे पर लिया जाना है	:	
(vi)	अपलिक और डाऊनलिक फ्रीक्वेंसी (डाऊनलिक करने के लिये किराये पर लिये जाने वाले प्रस्तावित सैटेलाइट के फुटप्रिंट का मानचित्र संलग्न करें)	:	
4.	देश/अपलिक के स्थान का नाम :	:	
(i)	यदि यह भारत से प्राप्त किया गया चैनल है तो अपलिक करने की अनुमति की प्रति संलग्न करें। कृपया अपलिक करने की सुविधाओं को प्रदान करने के लिये अनुमोदित टेलीपोर्ट का नाम और अपलिक करने की अनुमति प्राप्त करने की तारीख तथा अपलिक करने की अनुमति की अवधि का उल्लेख किया जाए।	:	
(ii)	यदि यह चैनल किसी अन्य देश से अपलिक किया गया है तो उस देश के लाइसेंस प्रदान करने वाले अथवा विनियामक प्राधिकरण द्वारा प्रदान किये गये लाइसेंस/अनुमोदन की प्रति संलग्न करें और अपलिक करने के स्पष्ट स्थान और देश का उल्लेख किया जाए। कृपया लाइसेंस/अनुमति जारी करने की तारीख और इसकी वैधता का भी उल्लेख किया जाए।	:	



(iii)	<p>क्या भारत में डाऊनलिक किये जाने से पहले अपलिक सिग्नल की कोई मध्यस्थ स्थायी व्यवस्था है, यदि हां, तो क्या आपके पास उन देशों के संबंधित विनियामक अथवा लाइसेंस प्राधिकरणों का प्रसारण लाइसेंस है? यदि हां, तो प्रासंगिक लाइसेंसों की प्रतियां संलग्न करें।</p>	:	
5.	<p>डाऊनलिक शुरू करने की प्रस्तावित तारीख:</p> <p>यदि इस चैनल को पहले से ही डाऊनलिक किया जा रहा है तो वह तारीख और समय दर्शाएं जब से इसे भारत में आम दर्शकों के लिये डाऊनलिक किया जा रहा है।</p>	:	
6.	<p>कृपया डाऊनलिक वितरण के लिये उपयोग की जाने वाली नामपद्धति, निर्माण का वर्ष, मॉड्यूल, उपस्कर/उपकरणों के विनिर्माताओं का नाम और पता इत्यादि तकनीकी ब्यौरा, डाऊनलिक करने तथा वितरण पद्धति का ब्लॉक स्कीम-वार रेखाचित्र प्रस्तुत किया जाए।</p>	:	
7.	<p>कृपया कम्पनी अथवा इसकी सहायक कम्पनी के नाम और पते का उल्लेख किया जाए, जहां आवेदक कम्पनी सरकार के लिये भारत में प्रसारण के सतत् अनुवीक्षण के लिये अनिवार्य उपस्कर तथा सुविधाओं और प्रत्येक प्रसारण की प्रस्तुती और रिकार्डिंग को इसके प्रसारण की तारीख से तीन माह की अवधि के लिये उपलब्ध कराएगी।</p>	:	

8.	आवेदक कम्पनी के पिछले तीन वर्षों ..... के संग्रह का वर्ष-वार ब्यौरा	:	
(i)	टीवी चैनल के लिये भारतीय बाजार से विज्ञापन राजस्व	:	
(ii)	टीवी चैनल के लिये भारतीय बाजार से अंशदायी राजस्व	:	
(iii)	डीवीडी/सीडी/मोबाइल टेलीफोन इत्यादि के अन्य उपयोग के लिये कार्यक्रम विषय-वस्तु के विक्रय से राजस्व	:	
(iv)	कृपया आवेदक कम्पनी के पिछले तीन वर्षों अथवा यदि बाद में शामिल की गई है, तो शामिल किये जाने की तारीख से लाभ और हानि लेखाओं तथा तुलन-पत्र की लेखा परीक्षित प्रतियां प्रस्तुत करें।	:	
9.	कृपया निम्नलिखित के नाम और पते प्रस्तुत किये जाएं :	:	
(i)	भारत में इस चैनल के वितरक और उनके प्रचालन के क्षेत्र।	:	
(ii)	भारत में इससे संबंधित एमएसओ जिन्हें भारत में इस चैनल को डाऊनलिक और प्रसारित करने के लिये प्राधिकृत किया गया है और उनके प्रचालन के क्षेत्र।	:	
(iii)	स्थानीय केबल ऑपरेटर जिन्हें भारत में इस चैनल को सीधे डाऊनलिक और प्रसारित करने के लिये प्राधिकृत किया गया है और उनके प्रचालन के क्षेत्र।	:	

(iv)	डीटीएच नेटवर्क जिन्हें इस चैनल को प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत किया गया है और उनके प्रचालन के क्षेत्र।	:	
------	--	---	--

(v)	पिछली श्रेणियों में से कृपया उन वितरकों/डीटीएच ऑपरेटरों/एमएसओ/एलसीओ के नामों का उल्लेख किया जाए जिनके साथ औपचारिक करार सम्पन्न नहीं किये गये हैं तथा ट्राई को प्रतियां प्रस्तुत नहीं की गई हैं और इनके कारण दर्शाएं जाएं।	:	
-----	---	---	--

स्थान :

(आवेदक के हस्ताक्षर)

[कम्पनी का प्राधिकृत हस्ताक्षरी]

दिनांक :

नाम :

कार्यालय का पता :

टेलीफोन/फैक्स नं. और ई-मेल आईडी :

कम्पनी की मोहर

## भाग-ग : टीवी चैनल के पंजीकरण के लिये

1.	चैनल का नाम	:	
2.	चैनल का लॉगो (कृपया मानचित्र विवरण संलग्न करें)	:	
3.	क्या इस नाम और/अथवा लॉगो को ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 के तहत पंजीकृत कराया गया है?	:	
4.(क)	क्या यह नाम और/अथवा लॉगो अथवा इसका कोई भाग भारत अथवा विदेश में किसी अन्य टीवी चैनल द्वारा उपयोग किया जा रहा है?	:	
(ख)	यदि हां, तो क्या इस नाम और/अथवा लॉगो/इसके किसी भाग को ट्रेडमार्क के रूप में अथवा एक ब्रांड के रूप में भारत के ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 के तहत अथवा उस मूल देश के संबंधित कानून के तहत पंजीकृत कराया गया है? और यदि हां, तो किस नाम से? (नाम : प्रासंगिक दस्तावेज संलग्नक करें)	:	
(ग)	यदि उपर्युक्त 4(ख) का उत्तर हां में है, तो क्या इस नाम और/अथवा लॉगो स्वामी और आवेदन कम्पनी के मध्य भारत में इसके उपयोग के संबंध में कोई करार सम्पन्न किया गया है? कृपया करार का पूरा ब्यौरा दिया जाए।	:	

5.	प्रस्तावित चैनल के समय में से कितने प्रतिशत समय का उपयोग पंजीकृत ट्रेडमार्क के स्वामी के कार्यक्रम की विषय-वस्तु के प्रसारण के लिये किया जाएगा (नाम और/अथवा लॉगो) ताकि आवेदक कम्पनी द्वारा इसके उपयोग के औचित्य को सिद्ध किया जा सके? कृपया विषय-वस्तु हिस्सेदारी व्यवस्था का पूरा विवरण प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ दिया जाए।	:	
6.	<u>चैनल की श्रेणी :</u> कृपया उस श्रेणी पर निशान लगाएं जिससे प्रस्तावित चैनल संबंधित है :	:	
(क)	सामान्य समाचार और वर्तमान घटनाक्रम चैनल।		
(ख)	सामान्य मनोरंजन चैनल (धारावाहिक, आपसी कार्यक्रम, संगीत, फिल्में, जीवन-शैली, यात्रा और पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमलापों इत्यादि सहित)।	:	
(ग)	विशेष अथवा सहायक चैनल अर्थात् खेलकूद, पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, धर्म।	:	
7.	उपर्युक्त (ग) के मामले में कृपया चैनल के लिये विशेष विषय को विनिर्दिष्ट करें।	:	
8.	वह भाषा जिसके माध्यम से प्रस्तावित चैनल को भारत में प्रसारित किया जाएगा।	:	
9.	सामान्य समाचार और वर्तमान घटनाक्रम चैनल के मामले में कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें :	:	

(i)	इस समाचार और वर्तमान घटनाक्रम चैनल की विषय-वस्तु किससे संबंधित और अपलिक की गई है, का उल्लेख विज्ञापनों सहित किया जाए?		
(ii)	क्या विज्ञापनों सहित इस विषय-वस्तु पर दूसरे देशों में रोक लगा दी गई है? यदि हां, तो उन देशों के नाम का उल्लेख किया जाए।	:	
(iii)	यदि उपर्युक्त (ii) का उत्तर नहीं में है, तो कृपया यह उल्लेख किया जाए कि क्या इस संबंध में भारत के लिये कोई परम्परागत संकेत है।	:	
(iv)	24 घण्टे के कार्यक्रम के कुल समय की तुलना में विज्ञापनों का समय-अनुपात कितना है?	:	
(v)	इसमें भारतीय विज्ञापनों का कितना अनुपात है? नोट : भारतीय विज्ञापनों का अर्थ भारत में तैयार किये गये विज्ञापनों से है, चाहे वे केवल भारतीय दर्शकों के लिये हों और चाहे वे भारतीय उत्पाद हों अथवा विदेशी उत्पाद हों।	:	
(vi)	24 घण्टे की अवधि के इस चैनल के कार्यक्रम में भारतीय/भारतीय विनिर्दिष्ट विषय-वस्तु अर्थात् भारतीय घटनाओं पर आधारित भारत के लिये तैयार की गई विषय-वस्तु के समय का अनुपात कितना है?	:	

(vii)	क्या इस चैनल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चैनल कहा जा सकता है? यदि हां, तो कृपया इसके समर्थन में ब्यौरे-वार अनुसूची प्रस्तुत की जाए।	:	
(viii)	क्या आप खण्ड 2.4.1 से छूट प्राप्त करने/इसमें संशोधन करने की मांग कर रहे हैं?	:	
(ix)	यदि हां, तो इसके समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय कार्यक्रम विषय-वस्तु और विज्ञापन तथा अंशदान के अनुपात के आधार पर और इनसे प्राप्त विज्ञापन राजस्व के पूरे आंकड़ों सहित अपने तर्क का उल्लेख करें।	:	
10.(i)	क्या यह चैनल निःशुल्क प्रसारण के लिये है अथवा भुगतान के आधार पर प्रसारण के लिये है?	:	
(ii)	यदि यह चैनल भुगतान के आधार पर प्रसारित किया जाने वाला चैनल है, तो कृपया यह पुष्टि करें कि केवल पंजीकृत केबल ऑपरेटर्स/एमएसओ और डीटीएच ऑपरेटर्स को ही डिकोडर प्रदान किये जा रहे हैं अथवा प्रदान किये जाएंगे।	:	
(iii)	क्या इस चैनल के सिग्नल डिजीटल हैं अथवा एनालॉग हैं?	:	
11.(i)	इससे संबंधित कार्यक्रमों के बारे में अंतिम सम्पादन निर्णय कौन लेता है अथवा कौन लेगा और वे कहां बनाए गये हैं अथवा कहां बनाए जाएंगे? कृपया इसके लिये उत्तरदायी व्यक्ति का नाम, पता और सम्पर्क संख्या इत्यादि का उल्लेख किया जाए।	:	

(ii)	<p>क्या इस चैनल पर विषय-वस्तु प्रसारण को विनियमित करने के लिये कोई आंतरिक तंत्र है?</p> <p>यदि हां, तो कृपया ब्यौरे-वार विवरण दिया जाए। यह चैनल किस प्रकार कार्यक्रम तथा विज्ञापन संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा?</p>	:
------	---	---

(iii)	<p>क्या इस चैनल की विषय-वस्तु के संबंध में जनसाधरण की शिकायतें प्राप्त करने और इनका निवारण करने के लिये किसी तंत्र की व्यवस्था है? कृपया ब्यौरे-वार विवरण दिया जाए।</p>	:
-------	---	---

12.	<p><u>वह व्यक्ति जिससे सम्पर्क किया जाए :</u></p> <p>कृपया उस व्यक्ति के नाम का उल्लेख किया जाए जो आवेदक की ओर से अनुपालन उद्देश्यों के लिये प्राथमिक रूप से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सम्पर्क में रहेगा। उसका पता, ई-मेल, टेलीफोन नं., फैक्स नं. इत्यादि दिया जाना चाहिए। कम्पनी द्वारा जारी किया गया प्राधिकार पत्र भी संलग्न किया जाए।</p>	:
-----	---	---

13.	<p>वह अवधि जिसके लिये चैनल ने पंजीकरण के संबंध में आवेदन किया है। (यह अवधि उस अवधि से अधिक नहीं होगी जिसके संबंध में आवेदक कम्पनी ने भारत के लिये उस चैनल के विपणन/वितरण अधिकार प्राप्त किये हैं)</p>	:
-----	---	---



## सामान्य

क्या फार्म 1क और 1ख में की गई घोषणा संलग्न है। (हां/नहीं) और इसके ब्यौरे का उल्लेख किया जाए।

## घोषणा :

1. हम एतद्द्वारा उपर्युक्त उल्लिखित टीवी चैनल (जैसा कि भाग ख और ग में दिया गया है) को भारत में डाऊनलिक और वितरित किये जाने के लिये पंजीकरण प्राप्त करने के लिये आवेदन करते हैं और यह घोषणा करते हैं कि इस आवेदन फार्म में दी गई सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।
2. हम एतद्द्वारा अपने टीवी चैनल जैसा कि हमारे उपर्युक्त आवेदन में उल्लेख किया गया है, को डाऊनलिक करने की अनुमति प्राप्त करने के लिये आवेदन करते हैं और यह घोषणा करते हैं कि इस आवेदन फार्म में दी गई सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है। हम स्वयं द्वारा डाऊनलिक किये जा रहे प्रत्येक चैनल के लिये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ अनुमति प्रदान करने संबंधी करार को सम्पन्न करने का भी वचन देते हैं।
3. हम एतद्द्वारा यह पुष्टि करते हैं कि हम पंजीकरण की सभी निबंधन और शर्तों तथा भारत सरकार द्वारा डाऊनलिक करने संबंधी दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित किये गये नियमों तथा विनियमों, देश के कानूनों और भविष्य में अधिनियमित किये जाने वाले किसी अन्य प्रसारण कानून की सभी निबंधन और शर्तों का अनुपालन करेंगे।

स्थान :

(आवेदक के हस्ताक्षर)

[कम्पनी का प्राधिकृत हस्ताक्षरी]

दिनांक :

नाम :

कार्यालय का पता :

टेलीफोन/फैक्स नं. और ई-मेल आईडी :

कम्पनी की मोहर

## आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले संलग्नकों की सूची

कृपया आवेदन के साथ (जो भी लागू हो) संलग्न निम्नलिखित दस्तावेजों के सामने निशान लगाएं :

- (1) कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत आवेदक कम्पनी के पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति।
- (2) शामिल किये जाने के प्रमाण-पत्र; संघ के ज्ञापन और अंतर्नियम तथा विपणन/वितरण करार की प्रति।
- (3) तालिका-1 के अनुसार शेयरधारिता पैटर्न।
- (4) प्रवर्तकों और अधिकांश शेयरधारियों के नाम, पता, सम्पर्क टेलीफोन नं. तथा चुकता इक्विटी की राशि तथा प्रतिशतता के अनुसार धारित इक्विटी का विवरण प्रदान करने वाली अलग शीट।
- (5) जन्मतिथि, जन्म स्थान, माता-पिता की स्थिति, राष्ट्रीयता, स्थाई पता, आवासीय पता, कार्यालयी पता, पासपोर्ट नं. (यदि कोई हो), योग्यता, अनुभव, संबंधित क्षेत्र इत्यादि को दर्शाते हुए प्रत्येक निदेशक के जीवन-वृत्त के साथ मुख्य कार्यकारियों की सूची।
- (6) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के संबंध में लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और लाभ तथा हानि लेखे और इन दस्तावेजों के आधार पर किसी सनदी लेखाकार द्वारा निवल मूल्य का प्रमाण-पत्र।
- (7) डाऊनलिक करने के लिये (चैनल-वार) उपयोग किये जा रहे/किराये पर लिये जाने वाले प्रस्तावित सैटेलाइट के फुटप्रिंट के मानचित्र का ब्यौरा।
- (8) चैनल को अपलिक करने की अनुमति की प्रति। उस देश के लाइसेंस प्रदान करने वाले अथवा विनियामक प्राधिकरण द्वारा प्रदान किये लाइसेंस/प्रदान किये गये अनुमोदन (चैनल-वार) की प्रति।

- (9) आवेदक कम्पनी के प्रासंगिक दस्तावेजों जो डाऊनलिक किये जा रहे अथवा डाऊनलिक किये जाने वाले प्रस्तावित चैनल/चैनलों के स्वामित्व अथवा प्रत्येक चैनल के लिये भारत के क्षेत्र में विपणन और/अथवा वितरण अधिकार का साक्ष्य प्रस्तुत करते हों, की प्रति।
- (10) समाचार और वर्तमान घटनाक्रम चैनल जो दिशानिर्देशों में निर्धारित किये गये पात्रता मानदंड पूरा करते हों, के समर्थन में दस्तावेजों की प्रति।
- (11) संकेतांक कार्यक्रम अनुसूची।
- (12) फार्म 1क एवं 1ख में शपथ-पत्र।
- (12) कोई अन्य दस्तावेज : .....

स्थान :

(आवेदक के हस्ताक्षर)

दिनांक :

नाम :

कार्यालय पता :

[नोट : पूरी सूचना उपलब्ध न करवाए जाने की स्थिति में, आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा तथा इसे तुरंत कंपनी को वापस लौटा दिया जाएगा।]

फार्म 1 का अनुलग्नक

आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले शेयरधारिता पैटर्न हेतु फार्मेट

तालिका-1

आवेदक कंपनी का शेयरधारिता पैटर्न

मैसर्स ..... दिनांक .....

शेयर का प्रत्यक्ष मूल्य ..... रू.

क्र.सं.	शेयरधारियों की श्रेणी	शेयर धारिता			
		सीधा निवेश		पोर्टफोलियो निवेश	
		शेयरों की संख्या	कुल भुगतान किए गये शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल भुगतान किए गए शेयरों का प्रतिशत
1.	भारतीय व्यक्तिगत				
2.	भारतीय कंपनी				
3.	विदेशी व्यक्तिगत				
4.	विदेशी कंपनी				
5.	एनआरआई				
6.	एफआईआई				
7.	पीआईओ				
8.	कोई अन्य				

## फार्म-1क

### हलफनामा/वचन

(20 रू. के स्टैप पेपर पर नोटेरी द्वारा हस्ताक्षरित)

जबकि, मैंने श्री ..... पुत्र श्री ..... ने .....  
क्षमता के तहत (पदनाम) मैसर्स ..... की तरफ से ..... से  
..... (स्थान) तक टीवी चैनल की डाऊनलिकिंग की  
अनुमति/अनुमोदन हेतु सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को आवेदन किया है।

जबकि, उपरोक्त अनुमोदन/अनुमति से पूर्व एक शर्त के रूप में, मुझे केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित किए गए कार्यक्रम एवं विज्ञापन कोडों की अनुपालना करनी होगी।

जबकि, मैंने ऊपर वर्णित कार्यक्रम एवं विज्ञापन कोडों का अध्ययन कर लिया है।

जबकि, मुझे इस बात की जानकारी है कि इस प्रकार से प्रदान की गई अनुमति/अनुमोदन को मेरे द्वारा कथित कार्यक्रम एवं विज्ञापन कोडों की अनुपालना करने में विफल रहने पर वापस लिया जा सकता है।

इसलिए, अब मैं एतद्वारा निम्नलिखित की शपथ लेता हूँ :

i) मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए कार्यक्रम एवं विज्ञापन कोडों की अनुपालना करने की शपथ लेता हूँ।

ii) मैं ऊपर वर्णित टीवी चैनलों के संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली माँगी गई सार्वजनिक शिकायतों, कार्यक्रम विषय-वस्तु तथा अन्य से संबंधित कोई भी सूचना आवधिक तौर पर प्रस्तुत करने की शपथ लेता हूँ।

iii) मैं प्रसारण सेवा के सतत् अनुवीक्षण हेतु मेरे स्वयं के खर्च पर आवश्यक उपस्कर तथा सुविधा प्रदान करने तथा प्रसारित की गई सामग्री की रिकार्डिंग को प्रसारण की

तारीख से 3 महीने की अवधि तक सुरक्षित रखने तथा इसे जब कभी भी आवश्यक होगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष प्रस्तुत करने की शपथ लेता हूँ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

कंपनी की मोहर

स्थान:

दिनांक :

## फार्म-1ख

### हलफनामा/वचन

(मनोरंजन टीवी चैनल/समाचार एवं वर्तमान घटनाक्रमों वाले टीवी चैनलों हेतु)  
(100 रु. के स्टैप पेपर पर तथा नोटेरी द्वारा हस्ताक्षरित)

जबकि, मैसर्स ..... ने ..... टीवी चैनल की डाऊनलिकिंग की अनुमति/अनुमोदन हेतु सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को आवेदन किया है।

जबकि, फार्म-1क में हलफनामों के साथ फार्म-1 में सूचनाएं तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों (अर्थात् ज्ञापन एवं संघ के अधिनियम, परियोजना रिपोर्ट, सैटेलाइट पट्टा करार इत्यादि) के साथ तालिका I एवं तालिका II में घोषणाएं प्रदान कर दी गई हैं।

जबकि, हम समझते हैं कि आवेदन-पत्र तथा फार्म 1क, 1ग एवं तालिका I तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों में दी गई जानकारियाँ समग्र रूप से इस अनुमति का भाग हैं।

हम इस बात का आश्वासन देते हैं कि हमारा चैनल पूरी तरह मनोरंजन टीवी चैनल/समाचार एवं वर्तमान घटनाक्रम टीवी चैनल है तथा इसमें कोई भी समाचार या वर्तमान घटनाक्रमों पर आधारित कार्यक्रम शामिल नहीं किया गया है/नहीं किया जाता है।

हम एतद्वारा यह शपथ लेते हैं कि चैनल की कार्यक्रम विषय-वस्तु में समाचार/वर्तमान घटनाक्रमों को शामिल करने के साथ ही किसी विदेशी इक्विटी/प्रबंध नियंत्रण को शामिल करने के लिए स्वामित्व पैटर्न में किसी बदलाव के लिए, टीवी चैनलों की अपलिकिंग हेतु जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत सरकार से नए सिरे से अनुमति प्राप्त करेंगे तथा इस प्रकार के प्रस्ताव परिवर्तन की पूर्व सूचना सरकार को प्रदान की जाएगी।

हम समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में सूचना प्रदान करने की भी शपथ लेते हैं।

के लिए और की तरफ से  
मैसर्स .....

प्राधिकृत हस्ताक्षरी  
कंपनी की मोहर

दिनांक : .....

स्थान : .....